सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी – जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 93/2011

श्री गुमान पुत्र श्री गोमाराम जी, जाति भांबी, निवासी रामसर बलाईयान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

————वादी

ब ना म

1– श्री मंगला पुत्र स्व. श्री हजारी जी,
2– श्रीमति मगनी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
3– श्रीमति सुखी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
4– श्रीमति सोवनी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
5– श्रीमति प्रेमी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
6– श्री कचरू पुत्र श्री गोमाराम जी,
7– श्रीमति शान्ति पत्नि स्व. श्री भंवरलाल जी,
समस्त जाति भांबी, निवासी ग्राम रामसर बलाईयान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
8– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)
9– श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
10– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 15-07-2019

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 18–07–2018 को विभाजन की अंतरिम निर्णय/प्रारंभिक डिक्री पारित कर आदेश दिया गया कि – " वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 स्वीकार किया जाकर मौजा रामसर बलाईयान, पटवार हल्का जालिया प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर, वर्णित काश्त भूमियां खसरा 124 रकबा 01–08–10 किस्म बा.1, 262 रकबा 00–08–00 किस्म ता.1 में वर्तमान जमाबंदी मे जो वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके वादी एंव प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एंव कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि तब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा बेचान हस्तातंरण संबंधी कार्यवाही नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2019/2140 दिनांक 25.04.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। अधिवक्ता प्रतिवादी के लगातार अनुपस्थित रहने से बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने कथन किए कि यथाप्रस्ताव बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम रामसर बलाईयान, पटवार हल्का जालिया प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :–

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

अंतिम निर्णय
श्री गुमान बनाम श्री मंगला व अन्य
राजस्व वाद संख्या 93/2011
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	गुमान वल्द गोमा कौम भांबी सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है।	124/2 262/2	00–09–10 00–01–07	बा.1 ता.1	0.17
	योग	02	00–10–17		0.17
2	सुशीलादेवी पत्नि मदनलाल जाति मेघवाल नि. कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया II, ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।	124/3	00–09–10	बा.1	0.17
	योग	01	00–09–10		0.17
3	कालूराम वल्द हेमाराम कौम भांबी सा. देह ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है।	124/1	00–09–10	बा.1	0.16
	योग	01	00–09–10		0.16
4	शान्ति पत्नि भंवरलाल 80/133 हि. मंगला वल्द हजारी व मंगलाराम वल्द हजारी, मगनी, सुखी, सोवनी, प्रेमी पुत्रियां हजारी 27/133 हि. कचरू पुत्र गोमा 26/133 हि. कौम भांबी सा. देह खातेदार।	262/1	00–06–13	ता.1	
	योग	01	00–06–13		

राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार ख.नं. 262 रकबा 00–08–00 में वादी का 1/6 हि. भूमि यानि 00–01–07 रकबा बनता है जो कि सूक्ष्म रकबा होने के कारण राजस्व रेकार्ड मानचित्र में तरमीम किया जाना संभव नहीं है। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपने–अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधु)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, ब्यावर

(जसमीत सिंह संधु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संधु आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 93/2011

श्री गुमान पुत्र श्री गोमाराम जी, जाति भांबी, निवासी रामसर बलाईयान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

————वादी

ब ना म

1— श्री मंगला पुत्र स्व. श्री हजारी जी,
2— श्रीमति मगनी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
3— श्रीमति सुखी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
4— श्रीमति सोवनी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
5— श्रीमति प्रेमी पुत्री स्व. श्री हजारी जी,
6— श्री कचरू पुत्र श्री गोमाराम जी,
7— श्रीमति शान्ति पत्नि स्व. श्री भंवरलाल जी,
समस्त जाति भांबी, निवासी ग्राम रामसर बलाईयान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
8— राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)
9— श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
10— श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.........मिनजामिन मुददई रूबरू.........मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि, यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम रामसर बलाईयान, पटवार हल्का जालिया प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) की वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	गुमान वल्द गोमा कौम भांबी सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है।	124/2 262/2	00—09—10 00—01—07	बा.1 ता.1	0.17
	योग	02	00—10—17		0.17
2	सुशीलादेवी पत्नि मदनलाल जाति मेघवाल नि. कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया II, ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।	124/3	00—09—10	बा.1	0.17
	योग	01	00—09—10		0.17
3	कालूराम वल्द हेमाराम कौम भांबी सा. देह ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है।	124/1	00—09—10	बा.1	0.16
	योग	01	00—09—10		0.16
4	शान्ति पत्नि भंवरलाल 80/133 हि. मंगला वल्द हजारी व मंगलाराम वल्द हजारी, मगनी, सुखी, सोवनी, प्रेमी पुत्रियां हजारी 27/133 हि. कचरू पुत्र गोमा 26/133 हि. कौम भांबी सा. देह खातेदार।	262/1	00—06—13	ता.1	
	योग	01	00—06—13		

..................लगातार

(जसमीतसिंह संधु)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
श्री गुमान बनाम श्री मंगला व अन्य
राजस्व वाद संख्या 93/2011
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार ख.नं. 262 रकबा 00–08–00 में वादी का 1/6 हि. भूमि यानि 00–01–07 रकबा बनता है जो कि सूक्ष्म रकबा होने के कारण राजस्व रेकार्ड मानचित्र में तरमीम किया जाना संभव नहीं है। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपने–अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निजी..................मुबलिक..................बाबत...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....................की अदा करें।

बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15-07-2019 को जारी किया गया ।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 14:56:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: